

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 166

M-COM-2019-00415

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "अटलांटिस", प्रमोटर-मेसर्स एम. आहूजा प्रोजेक्ट इंडिया प्रा.लि.
द्वारा-श्री महेन्द्र आहूजा, पता-साईं कुंज, सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"अटलांटिस"

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
26/10/2021	<p>– प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>– भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट 'अटलांटिस' पंजीयन क्रमांक-PCGRERA270618000354 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-17/रेरा/2018/562, दिनांक 28.09.2018 एवं क्रमांक-22/रेरा/2018/676, दिनांक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे। जो प्राधिकरण की वेबसाइट पर सहज उपलब्ध हैं।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों व निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>– अनावेदक ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर त्रैमासिक अद्यतन पूर्ण करने हेतु लगातार समय की मांग की है। अनावेदक के आग्रह पर प्राधिकरण ने अद्यतन पूर्ण करने हेतु अनावेदक को समुचित अवसर भी प्रदान किया है।</p> <p>– प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा सितम्बर, 2021 तक त्रैमासिक अद्यतन तथा वर्ष 2020-2021 तक की वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट नियमानुसार प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर प्रस्तुत कर दी गई है। अतः प्रकरण में कार्यवाही समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 166

M-COM-2019-00415

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "अटलांटिस", प्रमोटर-मेसर्स एम. आहूजा प्रोजेक्ट इंडिया प्रा.लि.
द्वारा-श्री महेन्द्र आहूजा, पता-साई कुंज, सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"अटलांटिस"

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / – (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य</p> <p>सही / – (विवेक ढाँड) अध्यक्ष</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 166

M-COM-2019-00415

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "अटलांटिस", प्रमोटर-मेसर्स एम. आहूजा प्रोजेक्ट इंडिया प्रा.लि.
द्वारा-श्री महेन्द्र आहूजा, पता-साईं कुंज, सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"अटलांटिस"

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 166

M-COM-2019-00415

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "अटलांटिस", प्रमोटर-मेसर्स एम. आहूजा प्रोजेक्ट इंडिया प्रा.लि.
द्वारा-श्री महेन्द्र आहूजा, पता-साईं कुंज, सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"अटलांटिस"

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर